न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/81/2017

रामरतन पुत्र विजयसिंह जाति जाटव निवासी श्रीनगर तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1–प्रेमकान्ता पत्नी दीपचंद । जाति जाटव निवासी दौरेठा न.2 आगरा

2–प्रेमवती पत्नी दल्लेराम ।

3– विजय सिह
4–राजवीर
5–ओमवीर
6–चन्द्रभान
7–हरिओम
8–रितेश

पुत्रान विजयसिंह जाति जाटव निवासी श्रीनगर तहसील रुपवास जिला भरतपुर

9–प्रबन्धक एसवीआई बैंक शाखा रुपवास जिला भरतपुर

10–प्रबन्ध भू.वि.बैंक शाखा रुपवास जिला भरतपुर

11–तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

12–हरीसिंह पुत्र रमजा जाति जाटव निवासी श्रीनगर रुध रुपवास जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली व मुकदमा रामरतन बनाम प्रेमान्ता वगेरा नम्बर 160/2017 व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट उनवानी रामरतन बनाम प्रेमकान्ता वगे. संख्या 134/2017 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रुपवास

उपस्थित :–

1–श्री दिनेश शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी,

2–श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 26.12.2017

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान इस आश्य का पेश किया गया है संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण एसडीओ रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी. ने धमकी दी है कि प्रकरण में वकील साहब से बात हो गई है अगली तारीख पर तुम्हारा स्टे को खारिज हो जायेगा। उपखण्ड अधिकारी के व्यवहार एवं अप्रार्थी की धमकी से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी. से मिल गये हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी से प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा। उपखण्ड अधिकारी रुपवास में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी न.12 हरीसिंह की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। शेष अप्रार्थी उपस्थित नहीं। उपखण्ड अधिकारी रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि दावा एवं प्रार्थना पत्र टी.आई उपखण्ड अधिकारी रुपवास के यहॉ विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी को जबाब दावा एवं जबाब प्रार्थना पत्र पेश करना था परन्तु अप्रार्थीगण ने जबाब पेश ना कर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पेश कर दिया। जब कि एस.डी.ओ.साहब को प्रार्थना पत्र को नहीं लेना चाहिये था। वे भी प्रकरण पर स्टे नहीं देकर अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे थे। वकील साहब की काफी अनुविनय के बाद पीठासीन अधिकारी ने हमारे पक्ष में स्टे दिया। बाद में अप्रार्थी. ने प्रार्थी को धमकी दी कि स्टे को अगली तारीख पर खारिज हो जायेगा साहब से बातचीत हो गई है। पीठासीन अधिकारी रुपवास के कृत्य एवं व्यवहार से प्रार्थी को से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर झुठा आरोप लगाया है। विचाराधीन दावा एवं प्रार्थना पत्र में जबाब पेश नहीं कर, प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पेश किया था। प्रार्थना पत्र पर निणर्य के बाद ही जबाब पेश करते। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर एतराज नहीं होना चाहिये। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय को निर्णय लेना है कि सही या गलत। प्रार्थी को तहत न्यायालय ने स्टे दे दिया है। प्रकरण को लम्बा करने स्टे पर बहस नहीं होने देने की नियत से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष अभिभाषक कथनों पर गौर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रुपवास से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा जुबानी आरोपों के सिवाय ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। जिस से आरोप साबित होते हैं। उपखण्ड अधिकारी ने भी आरोपों को मनगढंत बताया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी को मुद्दा बनाकर जिस प्रकार मौखिक आरोप लगाये हैं स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज योग्य **रहता** 3

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रुपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर